न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारी – पीयूष समारिया, I.A.S.

प्रकरण संख्या – 81/2025 अपील
जीसीएमएस नं0 2025/129

महावीर पुत्र श्री देवीलाल जाति माली निवासी जाखोडा तहसील लाडपुरा जिला कोटा

–अपीलांट

बनाम

1. छोटी पत्नी बिरधीलाल जाति माली
2. लालचन्द पुत्र बिरधीलाल जाति माली
3. बाबूलाल पुत्र बिरधीलाल जाति माली
4. सुशीला बाई पत्नी गजानन्द जाति माली
   निवासीगण ग्राम जाखोडा तहसील लाडपुरा जिला कोटा राज0

–रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बनाराजगी निर्णय दिनांक 30.06.2025 प्रकरण संख्या 89/2024 तहसीलदार लाडपुरा अन्तर्गत धारा 251 रा0टी0एक्ट

उपस्थितः–

1. श्री रघुवीर सिंह राठौड़, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री कन्हैयालाल शाक्यवाल, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट 1 से 3

निर्णय

दिनांक– 17.03.2026

1 अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 रा0टी0ए0 में ग्राम जाखोड़ा स्थित अपनी आराजी पर आने जाने के रास्ते को खुलासा कराने के सम्बन्ध में प्रस्तुत किया जाने पर तहसीलदार लाडपुरा द्वारा अपने निर्णय दिनांक 30.06.2025 से प्रार्थी अपीलांट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 रा0टी0एक्ट आंशिक स्वीकार किया जाकर आदेश पारित किया है कि–" प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 आंशिक स्वीकार किया जाता है । चूंकि खसरा संख्या 423 पर पहुंच के लिए खसरा संख्या 132 किस्म गै0मु0 रास्ता से पहुंच उपलब्ध है तथा खसरा संख्या 423 पर काश्त करने के विघ्न जैसी कोई स्थिति नहीं बनती है । अतः खसरा संख्या 425 व 421, 422 की मेड से 423 में पहुंच रास्ता दिलाये जाने की प्रार्थी की मांग का कोई औचित्य नहीं है जबकि प्रार्थी को खसरा संख्या 423 पर सिंचाई साधन के पास पहुंचने का हक है, अतः अप्रार्थीगण को आदेशित एवं पाबंद किया जाता है कि खसरा संख्यचा 423 से खसरा संख्या 424 पर पहुंच जरिये 1061/423 व 1062/423 की मेड से प्रार्थीगण को आने जाने में कोई व्यवधान /विघ्न पैदा नहीं करेंगे ।

2 अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार लाडपुरा के उक्त आदेश दिनांक 30.10.2025 की अप्रसन्नता में अपीलान्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 29.08.2025 को लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की गई है कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थी अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत पूर्व रास्ता खुलासा करवाये जाने बाबत पेश किया था लेकिन अधीनस्थ न्यायालय को उक्त प्रार्थना व प्रार्थी की प्रार्थना के विपरीत जाकर अपीलान्ट की अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर अपीलान्ट को मात्र खसरा नम्बर 423 से खसरा नम्बर 424 पर जरिये खसरा नम्बर 1061/423 व 1022/423 की मेड से आने जाने में अप्रार्थीगण रूकावट पैदा नहीं करें उक्त आदेश पूर्व रेकार्ड व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के विपरीत प्रदान

किया गया है, अपीलान्ट द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में पूर्व रास्ते को खुलासा करवाने का निवेदन किया था, इस प्रकार उक्त आदेश हर प्रकार से काबिल निरस्तनीय है । अधीनस्थ न्यायालय को अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य व पटवारी हल्का की रिपोर्ट को देखकर निर्णय पारित करना चाहिये था ऐसा न करके अधीनस्थ न्यायालय ने कानूनी त्रुटि की है ।

3 अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट की तलबी हेतु रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये, रेस्पोडेन्ट नं0 1 से 3 की ओर से अभिभाषक श्री कन्हैयालाल शाक्यवाल का वकालतनामा पेश हुआ । रेस्पो0 नं0 4 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से अनुपस्थिति दर्ज की गई । वकील अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट नं0 1 से 3 के विद्वान अभिभाषक उपस्थित । उपस्थित उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4 वकील अपीलान्ट द्वारा अपनी बहस में अपील मेमों में अंकित तथ्यों को ही दौहराते हुए कथन किया है कि अपीलांट की कृषि आराजी खसरा नम्बर 423 उत्तरी रकबा 0.70 हे0 वाके ग्राम जाखोडा तहसील लाडपुरा में स्थित है जिस पर अपीलान्ट निरन्तर बहैसियत खातेदार काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है, अपीलान्ट ने उक्त आराजी की सिंचाई हेतु कुंये की भूमि खसरा नम्बर 424 के समीप ट्यूबवैल खुदवा रखा है जिससे अपीलान्ट आराजी की सिंचाई करता है । अपीलान्ट एवं रेस्पो0 नं0 1 ने पूर्व में संयुक्त रूप से आराजी खसरा नम्बर 421 रकबा 0.31 हे0, ख0नं0 422 रकबा 0.27 हे0, ख0नं0 423 रकबा 0.96 हे0, ख0नं0 425 रकबा 0.54 हे0, ख0नं0 737 रकबा 0.54 हे0 वाके ग्राम जाखोडा तहसील लाडपुरा जिला कोटा की आराजी कय की थी तत्पश्चात अपीलान्ट व रेस्पो0 नं0 1 व 4 ने उक्त आराजी का विभाजन कर लिया जो नामान्तरकरण संख्या 549 दिनांक 18.3.2010 को ख0नं0 423 की उत्तरी रकबा 0.70 हे0, ख0नं0 737 रकबा 0.54 हे0 कुल 2 किता रकबा 1.24 हे0 अपीलान्ट के तथा आराजी ख0नं0 1061/423 दक्षिणी पश्चिमी रकबा 0.15 हे0 ख0नं0 425 रकबा 0.54 हे0 कुल 2 किता रकबा 0.69 हे0 रेस्पो0 नं0 1 के एवं आराजी ख0नं0 1062/423 दक्षिणी पूर्वी रकबा 0.11 हे0, 421 की 0.31 हे0 एवं ख0संख्या 422 रकबा 0.69 हे0 रेस्पो0 नं0 4 के पृथक खाते दर्ज हुई । इस प्रकार प्रार्थी व प्रतिवादी संख्या 1 व 4 के विभाजन के पश्चात उक्त आराजी उपरोक्तानुसार अलग अलग खाते दर्ज हुई । प्रार्थी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 4 ने उपरोक्त वर्णित आराजी का आपसी सहमति से पारिवारिक बंटवारा कर विधिवत विभाजन कर लिया तथा प्रार्थी / अपीलान्ट को विभाजन में प्राप्त आराजी ख0नं0 423 व ख0नं0 424 कुंये पर आने जाने एवं कृषि कार्य हेतु प्रति0 नं0 1 ने ख0नं0 425 की पूर्वी मेर से लगते हुए 6 फीट चौडा रास्ता तथा प्रतिवादी सं0 4 ने ख0नं0 421 व 422 की पश्चिमी मेड से लगते हुये 6 फीट चौडा रास्ता अर्थात प्रति सं0 1 व प्रतिवादी सं0 4 ने 12 फीट चौडा रास्ता कुंये व प्रार्थी के खाते की आराजी पर कृषि कार्य हेतु आने जाने के लिये दिया । इस बाबत एक समझौता पत्र दिनांक 5.10.2010 को उक्त आराजी के बंटवारे के समय आलेखित किया गया जिस पर प्रार्थी अपीलान्ट व प्रतिवादी सं0 1 व प्रतिवादी सं0 4 ने आपसी सहमति से आलेखित कर अपने अपने हस्ताक्षर किये । इस प्रकार वर्ष 2010 से ही 12 फीट चौडाई का रास्ता ख0नं0 425 की पूर्वी मेड तथा ख0नं0 421 व 422 की पश्चिम मेड से लगता हुआ 12 फीट में कायम चला आ रहा है जिसका उपयोग प्रार्थी व प्रतिवादी नं0 1 व 4 करते चले आ रहे है ।

5 प्रतिवादी संख्या 1 के पुत्र प्रतिवादी सं0 2 व 3 ने प्रार्थी के उक्त रास्ते को कुंये के ख0नं0 424 पर लकडी व तारफेंसिंग करके अवरूद्व कर दिया तथा प्रतिवादी सं0 1 द्वारा ख0नं0 425 की पूर्वी मेड से लगवा रास्ते को भी अवरूद्व कर दिया है जिससे प्रार्थी को कृषि कार्य हेतु आने जाने में समस्या आने लगी है प्रतिपक्षीगण ने बदनियती पूर्वक आशय से तथा पूर्व में हुये समझौता का उल्लंघन कर प्रार्थी के उक्त रास्ते की भूमि पर नाजायज रूप से लकडी पत्थर डालकर व कुंये पर तारफेंसिग करके अवरोध कर दिया है । उक्त रास्ते को ही खुलासा करवाने हेतु अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया था किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने नजर अन्दाज करते हुये मनमाने तौर पर निर्णय जेर अपील प्रदान किया है ।

6 मियाद के बिन्दु के सम्बन्ध में वकील अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट ने अधिवक्ता नियुक्त किया हुआ था तथा प्रकरण में हर पेशी पर आने से अपीलान्ट को अधिवक्ता द्वारा मना कर दिया गया था, वकील अपीलान्ट वकील साहब के भरोसे रहा निर्णय जेर अपील की सूचना अपीलान्ट को नहीं मिली । अपीलान्ट दिनांक 19.8.2025 को कोटा आया तथा अपने अपने वकील साहब से सम्पर्क किया तो उन्होने उक्त अपील का निर्णय दिनांक 30.6.2025 को होना बताया । उक्त जानकारी होने पर उसी दिन नकल प्राप्त करने हेतु आवेदन दिया जिस पर दिनांक 26.8.2025 को नकल प्राप्त कर यह अपील पेश की है जो सर्व प्रथम जानकारी की दिनांक 19.8.2025 तक की डिले कन्डोन करने पर अवधि मध्य स्वीकार की जावें । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलान्ट / प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपीलान्ट का पूर्व रास्ता खुलासा करवाये जाने का आदेश प्रदान किया जावें ।

7 वकील रेस्पोडेन्ट ने मियाद के बिन्दु के सम्बन्ध में कथन किया है कि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्य स्वीकार नहीं है, अपीलान्ट द्वारा मनगढन्त बनावटी एवं झूंठे तथ्य अंकित किये गये है तथा अपने तथ्यों के समर्थन में किसी प्रकार की कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है, केवल मात्र अपील को अन्दर मियाद लाने के लिये मनगढन्त, बनावटी एवं झूंठे तथ्य अंकित करते हुये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जो स्वीकार नहीं है । वकील रेस्पोडेन्ट ने आगे यह भी कथन किया है कि अपीलांट के खेत खसरा नं0 423 तक पहुंचने हेतु अन्य वैद्य रास्ता उपलब्ध है जैसा कि रिकार्ड व रिपोर्ट से स्पष्ट है । धारा 251 टीनेन्सी एक्ट के तहत रास्ता तभी दिया जा सकता है जब कोई अन्य रास्ता उपलब्ध न हो । जब वैकल्पिक मार्ग मौजूद है तो प्रतिवादी की भूमि पर जबरन रास्ता दिलाना कानूनन अस्वीकार्य है । यदि रेस्पोडेन्ट को कृषि भूमि के बीच से रास्ता दिया जाएगा तो कृषि कार्य में बाधा तथा भूमि को उपयोगिता व मूल्य में कमी आएगी इसलिये रेस्पोडेन्ट को हानि पहुंचाकर रास्ता नहीं दिया जा सकता । अपीलान्ट द्वारा यह सिद्व नहीं किया गया कि जिस रास्ते की वो मांग कर रहा है वो पूर्व में सार्वजनिक रास्ता रहा हो । केवल लंबे समय से आना जाना कानूनी अधिकार का प्रमाण नहीं है । समझौता पत्र स्थाई अधिकार उत्पन्न नहीं करता है और ना ही वह राजस्व रिकार्ड में दर्ज है । वादी द्वारा यह अपील केवल सुविधाजनक रास्ता पाने हेतु की गई है जो विधि के विपरीत है । बिना विधि सम्मत अधिकार के रेस्पोडेन्ट की भूमि पर रास्ता नहीं दिया जा सकता । यह असंवैधानिक व गैर कानूनी है । अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावें ।

8 हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अद्योपांत अवलोकन किया । अपीलांट द्वारा यह अपील प्रार्थी अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 30.06.2025 के विरूद्व इस न्यायालय में दिनांक 29.08.2025 को पेश की गई है । जो निर्धारित मियाद 30 दिवस के बाद पेश की है किन्तु धारा 5 के प्रार्थना पत्र में बताये गये कारणों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए प्रथम जानकारी दिनांक 19.08.2025 होने से तथा अपील का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना उचित होने से लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर अवधि मानी जाती है । अपील प्रस्तुत करने में यदि कोई विलम्ब भी हुआ है तो वह न्यायहित में क्षम्य है ।

9 प्रस्तुत अपील में अपीलांट का मुख्य तर्क है कि विभाजन में प्राप्त आराजी ख0नं0 423 व ख0नं0 424 कुंये पर आने जाने एवं कृषि कार्य हेतु प्रति0 नं0 1 ने ख0नं0 425 की पूर्वी मेर से लगते हुए 6 फीट चौडा रास्ता तथा प्रतिवादी सं0 4 ने ख0नं0 421 व 422 की पश्चिमी मेड से लगते हुये 6 फीट चौडा रास्ता अर्थात प्रति सं0 1 व प्रतिवादी सं0 4 ने 12 फीट चौडा रास्ता कुंये व प्रार्थी के खाते की आराजी पर कृषि कार्य हेतु आने जाने के लिये दिया । इस बाबत एक समझौता पत्र दिनांक 5.10.2010 को उक्त आराजी के बंटवारे के समय आलेखित किया गया जिस पर प्रार्थी अपीलान्ट व प्रतिवादी सं0 1 व प्रतिवादी सं0 4 ने आपसी सहमति से आलेखित कर अपने अपने हस्ताक्षर किया जाना बताया है। इस प्रकार वर्ष 2010 से ही 12 फीट चौडाई का रास्ता ख0नं0 425 की पूर्वी मेड तथा ख0नं0 421 व 422 की पश्चिम मेड

से लगता हुआ 12 फीट में कायम चला आ रहा है जिसका उपयोग प्रार्थी व प्रतिवादी नं0 1 व 4 करते चले आ रहे है । प्रार्थी अपीलांट के कथनानुसार अपीलांट एवं रेस्पो0 नं0 1 व 4 द्वारा खसरा नं0 425 की पूर्वी मेड से लगते हुए 6 फीट एवं खसरा नं0 421 व 422 की मेड से लगते हुए 6 फीट कुल 12 फीट के पारिवारिक समझौते अनुसार छोडे गये रास्ते को रेस्पोडेन्ट द्वारा अतिक्रमण करके बन्द करने से रास्ता खुलासा कराना चाहते है, किन्तु राजस्व रिकार्ड में कोई रास्ता दर्ज नहीं है जो पारिवारिक समझौता होना बताया गया है जो विधिकरूप से मान्य नहीं है । पक्षकारान के मध्य पारिवारिक बंटवारा हुआ है, किन्तु धारा 53 रा0टी0ए0 के तहत सहमति विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत नहीं हुआ है, पक्षकारान को चाहिए था कि पारिवारिक बंटवारे को धारा 53 के तहत विधिवत रूप से तैयार कर रास्ते का प्रावधान रखते हुए तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत कर रिकार्ड में अमल कराते किन्तु जो पारिवारिक बंटवारा किया जाना अपीलांट बताते है तथा जिसमें रास्ते का प्रावधान बताया है वह विधिक रूप से मान्य नहीं होने तथा रिकार्ड में रास्ता दर्ज नहीं होने से रास्ता दिया जाना संभव नहीं होने से तहसीलदार ने प्रार्थी अपीलांट की खसरा नं0 425, 421, 422 की मेड से 423 पर रास्ते की प्रार्थना स्वीकार नहीं की है तथा पटवारी आई एल आर की रिपोर्ट अनुसार अपीलांट के खेत पर जाने हेतु एक अन्य रास्ता मौजूद है जो कि अपीलांट के खेत खसरा नम्बर 423 रकबा 0.70 की पूर्वी मेड से होते हुए आगे जाता है जिसके खसरा नम्बर 132 रकबा 0.13 हे0 किस्म गैर मुमकिन रास्ता है । इस प्रकार तहसीलदार लाडपुरा द्वारा पारित निर्णय उचित होने से हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं पाते है ।

10 परिणामतः अपील अपीलांट स्वीकार करने के विधिक आधार पत्रावली पर उपलब्ध नहीं होने से अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है । अधीनसी न्यायालय का निर्णय

11 निर्णय आज दिनांक17.03.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

(पीयूष समारिया)
जिला कलक्टर, कोटा
जिला कलक्टर
कोटा